न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3608–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–9–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, बदनावर जिला धार प्रकरण कमांक 6/अ–6/13–14.

अमर सिंह पिता नंदा दांगी
निवासी बामनसुता एवं पंचकवासा
तहसील बदनावर जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

शंभुसिंह पिता जुवारसिंह राजपूत
निवासी पंचकवासा
तहसील बदनावर जिला धार .....अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक,आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश 24–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, बदनावर जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र किया गया कि ग्राम पंचकवासा पटवारी हल्का नम्बर 9 स्थित सर्वे कमांक 317/1 रकबा

5.311 हेक्टेयर गीताबाई पिता उकाजी दांगी के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि थी । गीताबाई की मृत्यु दिनांक 15–9–2013 को हो चुकी है । मृतक गीताबाई ने उसके पक्ष में दिनांक 5–9–2013 को नोटराईज्ड वसीयतनामा सम्पादित किया है, अतः मृतक खातेदार गीताबाई के स्थान पर पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–6/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा दिनांक 24–7–2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण तहसील न्यायालय के विचार क्षेत्र से बाहर होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–9–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की उक्त आपत्ति खारिज की जाकर प्रकरण साक्षियों के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा हमारे स्वत्व की भूमि पर नामांतरण की मांग की जा रही है, जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार नहीं है । यह भी कहा गया कि गीताबाई लाऔलाद फौत हुई है और चूंकि हम एक ही परिवार के हैं तथा मृतक गीताबाई का और कोई अन्य विधिक वारिस नहीं हैं, इसलिए वादग्रस्त भूमि हमारी है, जिस पर अनावेदक द्वारा बिना किसी वैध स्वत्व व अधिकार के नामांतरण की मांग की जा रही है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि गीताबाई कथित वसीयत दिनांक 5–9–2013 के पूर्व से ही कोमा में थी, अतः उक्त अवधि में वसीयत करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । इसके अतिरिक्त दांगी समाज में गोद लेने का रिवाज ही नहीं है तो फिर अनावेदक किस प्रकार से गोदी पुत्र बन गया, इस संबंध में न तो गोद लेने की कोई रस्म हुई और न ही कोई लिखा पढ़ी हुई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित है, अतः अनावेदक को स्वत्व के निर्धारण के लिए सिविल न्यायालय में जाना चाहिए । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रकरण अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के संबंध में आपत्ति की गई थी, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में प्रकरण साक्षियों के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत है, अभी अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । अंत में उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक द्वारा कब्जे के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसी दशा में यह प्रकरण स्वत्व घोषणा स्वरूप का होने से तहसीलदार को सुनवाई का अधिकार नहीं होने से आवेदन पत्र निरस्त किया गया । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि अनावेदक की ओर से संहिता की धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिए प्रकरण संहिता की धारा 109 एवं 110 का होकर तहसीलदार को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है । उपरोक्त निष्कर्ष के साथ तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । आवेदक को तकनीकी आधारों पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर तहसीलदार के समक्ष साक्ष्य व प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण हो सके । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–9–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर